Result Mitra Daily Magazine

AI पर वैश्विक बाध्यकारी संधि

❖ हालिया संदर्भ :

- USA, UK (यूनाइटेड किंगडम) एवं EU (यूरोपीय संघ) ने यूरोपीय परिषद के सम्मेलन में क्रांतिकारी नई तकनीकों के उपयोग पर पहली 'बाध्यकारी कानून' के लिये सहमति जताई है।

❖ संधि :

- इस संधि का आधिकारिक नाम "आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मानवाधिकार, लोकतंत्र एवं कानून के शासन पर यूरोप परिषद फ्रेमवर्क कन्वेंशन" है।
- इस संधि को 05 Aug को लिथुआनिया के विनियस में यूरोप परिषद के सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिये रखा गया।
- यह संधि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की AI प्रणालियों के विनियमन में मानवाधिकारों को प्राथमिकता देती है।
- इस संधि को के विकास के क्रम में पहला वास्तविक समझौता माना गया है।
- हालांकि अलग-अलग देशों द्वारा प्रस्तावित अलग-अलग नियम AI प्रणालियों के विकास में बाधक बन सकते हैं।
- पिछले 24 महीनों में 50 से ज्यादा देशों द्वारा तैयार की गई यह संधि AI प्रणालियों के विकास, डिजाइन एवं उपयोग के लिये जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को अपनाती है।
- यह कानून सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के साथ-साथ निजी कंपनियों एवं सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिये लागू एवं मान्य होगा।

❖ प्रावधान :

- संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश AI प्रणाली के किसी भी हानिकारक एवं भेदभावपूर्ण परिणाम के लिये जिम्मेदार होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रणालियों के परिणाम समानता एवं गोपनीयता अधिकारों का सम्मान करते हैं।
- हस्ताक्षरर्ता देश AI से संबंधित अधिकारों के उल्लंघन के पीडितों के लिये कानूनी सहारा भी उपलब्ध करवाएंगे।
- यह संधि विभिन्न महाद्वीपों के देशों द्वारा समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय मानक कानून है, जो AI प्रणालियों के संभावित जोखिम को कम करते हुए इसके वांछनीय उपयोग को बढावा देने वाला है।
- संधि के अनुसार, हस्ताक्षरकर्ता देश को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में AI प्रणालियों से संबंधित दायित्व से छूट प्रदान किया गया है।

❖ AI पर पूर्व के महत्वपूर्ण संधि :

- G-7 समझौता (अक्टूबर 2023)
- यूरोप का AI एक्ट
- 28 देशों द्वारा हस्ताक्षरित ब्लेचली घोषणा (Nov 2023)

❖ चुनौतियाँ एवं चिंताएँ :

- संधि भले ही कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसमें दंड या जुर्माने जैसे दंडात्मक प्रतिबंधों के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।
- कानून का अनुपालन मुख्यतः निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा एवं प्रवर्त्तन के लिये कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है।
- अलग-अलग देशों में AI प्रणालियों का विकास अलग-अलग स्तर पर है, ऐसे में समरूप कानून का प्रवर्त्तन हो पाने में संदेह है, साथ ही विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लिये यह कानून भेदभावपूर्ण हो सकता है।

Result Mitra TM